रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 6, 1972 (वैशाख 16, 1894)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6, 1972 (VAISAKHA 16, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 11 जनवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 11th January 1972 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4
Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
1.	No. 1-ITC (PN)/72, dt. 1st Jan. 1972	Min of Foreign Trade	Import Policy for registered exporters for the year April, 72--March 72 (Anemdment No. 51)
1	सं० 1-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 1 जनवरी 1972	विदेश व्यापार मन्त्रालय	अप्रैल, 1971—मार्च 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति (संशोधन संख्या 51)
2.	No. 2-ITC (PN)/72, dt. 1st Jan 1972	Do.	Import policy for Newsprint Printing and writing paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70 percent of fibre contents—(S. No. 44-V) -for the year April, '71- March '72 –restrictions in allocation of newsprint to daily newspapers
2	सं० 2-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 1 जनवरी 1972	—वही—	वर्ष अप्रैल 1971—मार्च 1972 के लिए अखबारी कागज-मुद्रण तथा लिखने के लिए कागज (लेड मार्क कागज को छोड़कर) जिसमें यांत्रिक काष्ठ लुगदी अन्तर्विष्ट है जो तन्तुक अंशों के 70 प्रतिशत की मात्रा से कम नहीं है—(क्रम सं० 44-पांच)—के लिए आयात नीति—दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज के आवंटन पर प्रतिबंध ।

1	2	3	4
3	No. DRAWBACK/PN-1/72 dt. 4th January, 1972.	Min. of Finance	Amendments in Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971.
3	सं० प्रति अदायगी/पी० एन०-1/72, दिनांक 4 जनवरी, 1972	वित्त मंत्रालय	15 अक्तूबर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी० एन०-1 में संशोधन ।
	No. DRAWBACK/PN-2/72, dated 4th January, 1972.	Do.	Correction in Public Notice No. DRAWBACK/PN-11, dated the 17th Nov. 1971.
	सं० प्रति अदायगी/पी० एन०-2/72, दिनांक 4 जनवरी, 1972	---तदैव---	17 नवम्बर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी, पी० एन०-11 में संशोधन ।
	No. DRAWBACK/PN-3/72, dated 4th January, 1972.	Do.	Amendments in Public Notice No. DARWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971.
	सं० प्रति अदायगी/पी० एन०-3/72, दिनांक 4 जनवरी, 1972	---तदैव---	15 अक्तूबर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी० एन०-1 में संशोधन ।
4	No. 3-ITC(PN)/72, dt. 6th January, 1972.	Min of Foreign Trade	Import of spare parts by actual users —April, 1971—March 1972.
4	सं० 3-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 6 जनवरी, 1972	विदेश व्यापार मंत्रालय	वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा फालतू पुर्जों का आयात —अप्रैल 1971—मार्च 1972 ।
5	No. 23 (1)/71-COR dated 6th January, 1972.	Min. of Labour & Rehabilitation	Dr. B. K. Bhattacharya, I.A.S., Refugee Relief and Rehabilitation Commissioner, West Bengal and *Ex-officio* Secretary, Refugee Relief and Rehabilitation Deptt. of the Govt. of W. Bengal would act as Member Shri B. B. Mandal former Secretary Refugee Relief and Rehabilitation Deptt, Govt. of W. Bengal.
5	सं० 23(1)/71-सं०, दिनांक 6 जनवरी, 1972	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय	डा० बी० के० भट्टाचार्य, आई० ए० एस०, शरणार्थी सहायक और पुनर्वास आयुक्त पं० बंगाल तथा पदेन सचिव, शरणार्थी सहायता और पुनर्वास विभाग, पं० बंगाल जो कि, भूतपूर्व सचिव, शरणार्थी सहायता और पुनर्वास विभाग, पं० बंगाल के स्थान पर सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।
6	No. 4-ITC (PN)/72, dt. 10th January, 1972.	Min. of Foreign Trade	Import policy for registered exporters for the period April, 1971—March 1972, (Amendment No. 52).
6	सं० 4-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 10 जनवरी, 1972	विदेश व्यापार मंत्रालय	अप्रैल 1971—मार्च 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति (संशोधन सं० 52)
7	No.-V 23025/4/71 LR-IV, dated 11th January, 1972.	Min. of Labour & Rehabilitation	Appointment of Shri Rama Desai as a regular member of the Committee on Automation.
7	सं० यू०-23025/4/71-एल० आर०-4, दिनांक 11 जनवरी, 1972	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय	श्री राम देसाई की स्वचालन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	427
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	707
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	617
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि-सम्मिलित हैं) . .	1083
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1541
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	225
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	595
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	155
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	39
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . .	995
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	91
पूरक संख्या 19—	
22 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	797
1 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु संम्बन्धी आंकड़ें .	807

CONTENTS

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	427
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	707
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	617
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1083
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1541
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	225
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	595
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	155
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	39
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	995
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	91
SUPPLEMENT No. 19—	
Weekly epidemiological Reports for week ending 22nd April, 1972	797
Births and Deaths from Principal diseases in over in India during week ending 1st April, 1972	807

भाग I—खण्ड 1
(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात और खान मन्त्रालय
(खान विभाग)

नई दिल्ली दिनाक 12 अप्रैल 1972

स० फा० 12(6)/71-खान-6—इस मत्रालय की समय समय पर यथासशोधित, अधिसूचना स० 13 (19)/63-खान-6, तारीख 21 मई 1965, के आशिक उपातरण मे यह विनिश्चय किया गया है कि श्री दामोदर पाण्डे, सदस्य, लोक सभा और श्री कल्याण राय, सदस्य, राज्य सभा, भी खनिज सलाहकारी बोर्ड के सदस्य होगे।

हर्ष गुप्त, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 30 मार्च 1972

संकल्प

स० 5-19/69-एम० सी० एच०—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मत्रालय (परिवार नियोजन विभाग) के दिनाक 26 अक्टूबर, 1970 के सकल्प सख्या 5-19/69-एम० सी० एच० मे आशिक सशोधन करते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि श्रीमती इला पाल चौधरी और श्रीमती सुशीला गोपालन के ससद सदस्य (लोकसभा) न रहने पर उनके स्थान पर श्रीमती ज्योत्सना चन्दा और श्रीमती भार्गवी थकप्पन, ससद सदस्य (लोक सभा) काउटेस आफ डफरिन निधि की सलाहकार समिति की सदस्य होगी।

आदेश

आदेश है कि इस सकल्प की एक एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारो/सघ शासित क्षेत्रो को भेज दी जाए। आगे आदेश है कि सूचना के लिए यह आदेश भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए।

दीनानाथ चौधरी, निदेशक

कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 12 अप्रैल 1972

संकल्प

स० 30-1/71-पशुधन विकास-III—इस मत्रालय के सकल्प सख्या 30-1/71-पशुधन विकास-III दिनाक 27-12-71 के क्रम मे तथा इस मत्रालय के सकल्प सख्या 20-20/69-पशुधन विकास-III, दिनाक 26/29-11-69 मे आशिक सशोधन करते हुए, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्रशासन निदेशक विस्तार निदेशालय द्वारा केन्द्रीय गोसवर्द्धन परिषद् के करण्ट एकाउन्ट के सचालन की तिथि प्रथम अप्रैल, 1972 से 30 नवम्बर, 1972 तक अथवा जब तक अनिर्णित दावो का निर्णय किया जाता है, जो कोई भी पहले हो, आगे बढाई जाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक प्रति सब राज्य सरकारो, सघ राज्य क्षेत्रो तथा भारत सरकार के सब मत्रालयो और विभागो योजना आयोग, मन्त्रिमडल सचिवालय, प्रधान मत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह सकल्प भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाये।

वी० पी० गुलाटी, उप-सचिव

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

नई दिल्ली, दिनाक 20 अप्रैल 1972

स० 27(3)71-सी० डी० एन० (1) आई० सी० ए० आर०—श्री वी० एन० अम्बले, प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण) केन्द्रीय साख्यिकीय सगठन, साख्यिकी, विभाग नई दिल्ली, जिन्हे इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 27(1)/69-सी० डी० एन०(1)/ आई० सी० ए० आर० दिनाक 16 जुलाई, 1969 के अधीन भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् की पशु विज्ञान अनुसधान के लिए स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था, सोसाइटी की नियमावली के नियम 77, जिसे नियम 11(ए) के साथ पढा जाए, के अधीन दिनाक 13 अप्रैल, 1972 से उक्त स्थायी समिति के सदस्य नही रहे।

म० ल० राय, उप-सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय
(संस्कृत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 1972

स० एफ० 8-25/69-एल०-2—सविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धो द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्-द्वारा केन्द्रीय भारतीय भाषा सस्थान (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) नियुक्ति नियम, 1970 का सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमो को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती सशोधन नियम, 1972 कहा जाए।

(2) सरकारी राजपत्र मे इनके छपने की तारीख से ये लागू होगे।

2 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) नियुक्ति नियम, 1970 (इसके बाद इनको उक्त नियम कहा जाएगा) में नियम 5 के बाद निम्नलिखित नियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :—

6 "रियायत देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह आदेश द्वारा लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत दे सकती है"।

7 शर्तें :—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदि जाति तथा अन्य विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को दी जाने वाली अपेक्षित रियायतों तथा आरक्षणों को इन नियमों में से कोई भी प्रभावित नहीं करेंगे।

3 उक्त नियमों की अनुसूची में शीर्षक "केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में वर्ग 3 के पदों के लिए भर्ती नियम" के अन्तर्गत क्रम संख्या 5 और इससे संम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाएगा अर्थात् :—

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में वर्ग 3 के पदों के संबंध में नियुक्ति नियम

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए उच्चतम वय सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित की गई आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	कार्यालय अधीक्षक	1	सामान्य, केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय)	रु० 350-20-450-25-475	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7.	गेस्टैटनर आपरेटर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय)	रु० 110-3-125	प्रवरण	25 वर्ष	1 मैट्रिक उत्तीर्ण आय् नहीं 2. अनुलिपिकरण योग्यता :— कार्य में 2 वर्षों का जी। अनुभव	

क्रम संख्या	पद का नाम	परीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो	भर्ती की प्रणाली सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा तबादले द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता	यदि नियुक्ति पदोन्नति/तबादले द्वारा की जाए तो उन ग्रेडों के नाम जिनमें पदोन्नति की जानी है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनके अधीन भर्ती करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
1	2	10	11	12	13	14
6.	कार्यालय अधीक्षक	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	उसी ग्रेड में 8 वर्षों की सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति	वर्ग 3 विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता
7.	गेस्टैटनर आपरेटर	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ऐसा न होने पर पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति :— उसी ग्रेड में 7 वर्षों की सेवा के साथ चपरासियों और पुस्तकालय परिचरों में से	वर्ग 3 विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता

एस० के० सान्याल, अवर सचिव

(शिक्षा विभाग)

(आर० एच० यू०-I अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनाक अप्रैल 1972

विषय :—राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद

स० एफ० 1-2/71-आर० एच० यू०-1—इस मत्रालय की दिनाक 14 अगस्त 1969 की अधिसूचना संख्या एफ० 1-4/69-यू०-4 के आशिक सशोधन मे यह अधिसूचित किया जाता है कि 21 जनवरी, 1972 से डा० ए० एम० अदके के स्थान पर डा० ए० जी० पवार कुलपति, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा-परिषद् मे भारत श्रीलका अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगे।

आर० एस० चित्कारा
उप-शिक्षा सलाहकार

सिचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनाक 12 अप्रैल 1972

संकल्प

स० डी० डब्ल्यू० II-37(29)/70—इस मत्रालय के सकल्प सख्या डी० डब्ल्यू० II-28(52)/67 दिनाकित 1 अप्रैल 1969 के अन्तर्गत स्थापित सिचाई आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 1971 तक प्रस्तुत करनी थी। इस आयोग के कार्य की प्रगति का पुनरावलोकन करने पर, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को इस मत्रालय के सकल्प सख्या डी० डब्ल्यू० II-37(29)/70 दिनाकित 2 मार्च 1971 के अन्तर्गत बढ़ा कर 31 मार्च 1972 कर दिया गया। सिचाई आयोग अपनी रिपोर्ट की जिल्द I और IV को प्रस्तुत कर चुका है। आयोग की जिल्द II और III को प्रस्तुत करने की तारीख को एतद्द्वारा 30 जून, 1972 तक बढाया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प को भारत के राजपत्र भाग I खण्ड 1 मे प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मत्रालयो/विभागो तथा सभी राज्य सरकारो/सघीय प्रदेशो के प्रशासनो को भेज दी जाए।

आनद स्वरूप शर्मा, सयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनाक 14 अप्रैल 1972

स० ई० एल० बी-1(8)/69 दिनाक 21 अगस्त, 1970 द्वारा स्थापित केन्द्रीय विद्युत सलाहकार परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से पुनर्गठित की जाती है।

परिषद् का गठन

1	केन्द्रीय सिचाई और विद्युत् मत्री	. अध्यक्ष
2	केन्द्रीय सिचाई और विद्युत् उपमंत्री	. सदस्य
	राज्यों/संघी प्रदेशों के मंत्री	
3.	सिचाई और विद्युत् मंत्री, उड़ीसा	. सदस्य
4.	विद्युत् मत्री, तमिल नाडु .	. सदस्य
5	मत्री, विद्युत् विभाग, आध्र प्रदेश	. सदस्य
6.	मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	. सदस्य
7	उद्योग और विद्युत् मंत्री, जम्मू व काश्मीर	सदस्य
	संसद सदस्य	
8	श्री पी० वेकट सुब्बैया, ससद् सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
9	श्री कोन्डाज्जी वासप्पा, ससद् सदस्य (लोक सभा) . . .	सदस्य
10	श्री धरणीधर दास, ससद् सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
11	श्री आनन्द सिह, संसद् सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
12.	डा० एच० पी० शर्मा, ससद् सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
13	श्री भान सिह भौरा संसद् सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
14	श्री जितेन्द्र प्रसाद, ससद् सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
15	श्री ए० एस० कस्तूरे, ससद् सदस्य (लोक सभा) . . .	सदस्य
16	श्री एम० आर० शर्मा, ससद् सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
17.	श्री टी० एस० नछुमनन, ससद् सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
18	श्री डी० डी० पुरी, संसद् सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
19	श्री पढरी नाथ मीतारामजी पाटील, ससद् सदस्य (राज्य सभा) . .	सदस्य
20	श्री नारायण प्रसाद चौधरी, ससद्सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
21	श्री पृथ्वीनाथ ससद् (राज्य सभा) .	सदस्य
22	श्री ब्रह्मानद, पडा, ससद् सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
	राज्य विद्युत बोर्ड	
23	अध्यक्ष, असम राज्य बिजली बोर्ड .	सदस्य
24	अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड .	सदस्य
25	अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	सदस्य
26	अध्यक्ष, मैसूर राज्य बिजली बोर्ड .	सदस्य
27	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड .	सदस्य
	भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि	
28	सचिव, सिचाई और विद्युत मत्रालय .	सदस्य
29	उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग .	सदस्य
30	रेल मत्रालय (रेलवे बोर्ड) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
31	इस्पात और खान मत्रालय (खान और धातु विभाग) का एक प्रतिनिधि . .	सदस्य
32	परमाणु ऊर्जा विभाग का एक प्रतिनिधि .	सदस्य
33	कृषि मत्रालय (कृषि विभाग) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
34.	औद्योगिक विकास-मत्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
35.	वित्त मत्रालय (व्यय विभाग) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
36	योजना आयोग का एक प्रतिनिधि .	सदस्य

उपक्रमों आदि के प्रतिनिधि

37. अध्यक्ष, हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० भोपाल . सदस्य
38. अध्यक्ष, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० . सदस्य
39. अध्यक्ष, ग्राम विद्युतीकरण निगम . सदस्य
40. अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल अथवा उसका प्रतिनिधि . . सदस्य
41. भारतीय विद्युत् उपक्रम संघ का एक प्रतिनिधि सदस्य
42. अध्यक्ष, भारतीय विद्युत् निर्माता संघ अथवा उसका एक प्रतिनिधि . सदस्य
43. अवैतनिक महासचिव कार्यकारिणी समिति, नेशनल टनेज क्लब आफ फार्मर्स . सदस्य
44. संयुक्त सचिव (विद्युत) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय इस परिषद का सदस्य-सचिव होगा ।

अध्यक्ष परिषद् की बैठकों में किसी भी अन्य व्यक्ति को जिसे वह आवश्यक समझे, आमन्त्रित कर सकता है।

2. पर्याप्त द्रुत चक्रानुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए, परिषद् की समयावधि एक पारी में 2 वर्ष तक होगी।

3. (क) परिषद् निम्नलिखित विषयों पर विचार कर सुझाव देगी:—

(1) बिजली के उत्पादन, सम्भरण और वितरण से संबंधित तथा बिजली उपक्रमों द्वारा दी जाने वाली बिजली सेवाओं और सुविधाओं संबंधित वे मामले जो कि इस के पास केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री द्वारा विचारार्थ भेजे जायें।

(2) बिजली के उत्पादन, सम्भरण और वितरण से संबंधित तथा बिजली उपक्रमों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित के मामले जिन्हें अध्यक्ष की स्वीकृति से परिषद् का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से एजन्डे में सम्मिलित करना चाहे।

(3) बिजली के सम्भरण और वितरण संबंधित कोई और विषय जिसे जन-हित और सुविधा के लिए उपयुक्त समझ जाए।

(ख) यह परिषद् पूर्ण रूप से परामर्शदात्री होगी।

(ग) कर्मचारी वर्ग, अनुशासन और नियुक्तियों से संबंधित मामले इस परिषद् के सामने प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।

4. (क) परिषद् अपनी बैठक एक साल में कम से कम एक बार अवश्य बुलायेगी।

(ख) बिजली उपक्रमों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित खास-खास समस्याओं पर सरकार को सलाह देने के लिए अध्यक्ष परिषद की समितियां अथवा उप-समितियां स्थापित कर सकता है।

(ग) यदि कोई सदस्य बैठक में किसी विषय पर विचार-विमर्श करना चाहे तो उसे इसके लिए सचिव को पूरे एक महीने का नोटिस देना चाहिए और जिन विषयों पर वह विचार-विमर्श चाहता है, उनका संक्षेप में वर्णन कर देना चाहिए। सचिव एजन्डे को कम से कम 10 दिन पहले सदस्यों में परिचालित करेगा और साथ ही यथा-संभव हर एक मद पर ज्ञापन भी भेजेगा। यदि तत्कालिक विषयों पर विचार किया जाना हो तो उन्हें बिना नोटिस के ही परिषद् में प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु इसके लिए अध्यक्ष की स्वीकृति लेनी होगी। अध्यक्ष किसी विषय को अपने विवेक से अस्वीकृत कर सकता है।

(घ) परिषद की बैठकों की कार्यवाही गोपनीय होगी लेकिन सामान्यत: कार्य-विवरण का एक संक्षिप्त सार तैयार किया जाएगा और प्रैस को दे दिया जायेगा।

5. परिषद के सदस्य की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेंगे जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार होगा।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को संबंधित सदस्यों, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा-परीक्षक के पास भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

दिनांक 18 अप्रैल 1972

सं० एफ० सी० 47(2)/72—बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के गंगा बेसिन के किसी न किसी भाग में वर्ष में एक बार बाढ़ें आती ही हैं। अब तक किये गये सुरक्षात्मक उपायों की अपर्याप्तता के कारण, बाढ़ों के कारण प्राय: बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इसलिए, यह विचार किया गया है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों में एक बड़े रूप में बाढ़ों का सामना करने के लिए संगठित प्रयास किये जाएं। चूंकि यह एक अन्तराज्यिक नदी है, इसलिए यह आवश्यक है कि बेसिन में बाढ़, भूमि-कटाव और जल-निकासी की समस्या का हल निकालने के लिए एक समेकित योजना तैयार की जाए और इसका कार्यान्वयन समन्वित तरीके से किया जाए। इस कार्य में भारत सरकार का घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित करने और बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक और समन्वित योजना के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में तत्काल और कारगर कार्रवाई की सुविधा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है :—

2. बोर्ड में निम्नलिखित होंगे:—

(1) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री . अध्यक्ष
(2) केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री . . सदस्य
(3) बिहार के मुख्य मंत्री या उनका प्रतिनिधि सदस्य
(4) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री या उनका प्रतिनिधि . . . सदस्य

(5) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री या उनका प्रतिनिधि . . . सदस्य

(6) हरियाणा के मुख्य मंत्री या उनका प्रतिनिधि . . सदस्य

(7) राजस्थान के मुख्य मंत्री या उनका प्रतिनिधि . . . सदस्य

(8) मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री या उनका प्रतिनिधि . . . सदस्य

(9) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष . सदस्य-सचिव

3. बोर्ड व्यापक नीतियों का निर्धारित करेगा और विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वियन में प्राथमिकताओं का निश्चय करेगा। बोर्ड स्कीमों की स्वीकृति भी देगा और उनके कार्यान्वियन के लिए वार्षिक परिव्ययों की सिफारिश करेगा।

4. बोर्ड कार्य व्यापार के अपने नियम तैयार करेगा। बोर्ड का प्रधान कार्यालय पटना में होगा।

5. गंगा बेसिन के लिए बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बेसिन-वार योजनाओं में सम्मिलित निर्माण-कार्यों के कार्यान्वियन का चरण-बद्ध और समन्वित कार्यक्रम तैयार करने और निर्माण कार्यों का उचित मानकों के अनुसार कार्यान्वियन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन भी करेगी और उसका प्रधान कार्यालय पटना में होगा। आयोग का अध्यक्ष गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

6. सभी तकनीकी मामलों में बाढ़ नियंत्रण आयोग की सहायता करने के लिए भारत सरकार एक तकनीकी समिति भी स्थापित करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों, वित्त, कृषि, रेल, परिवहन योजना मंत्रालयों और प्रधान मंत्री सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सूचनार्थ भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाए कि वे सामान्य सूचनार्थ इसे राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करें।

संकल्प

सं० एफ० सी० 47(3)/72—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० सी० 47(2)/72 दिनांक 18-4-72, जिसके अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का निर्माण हुआ था, के सातत्य में भारत सरकार एतद्द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का निर्माण करती है।

2. आयोग में निम्नलिखित पूर्ण कालिक अधिकारी होंगे

(1) अध्यक्ष

(2) सदस्य—आयोजन एवं अभिकल्प

(3) सदस्य-समन्वय

इसके अतिरिक्त बिहार, उत्तर प्रदेश और और पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के कार्यभारी मुख्य इंजीनियर आयोग के अंश-कालिक सदस्य होंगे।

आयोग का अध्यक्ष गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

3. आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाएंगे :

(1) गंगा बेसिन के लिए बाढ़-नियंत्रण की एक व्यापक स्कीम तैयार करना। इस उद्देश्य के लिए आंकड़ों का क्षेत्रीय अन्वेषण और एकत्रण, जैसा कि गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड निदेश देगा, राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा ;

(2) बेसिन-वार योजनाओं में सम्मिलित कार्यों का एक चरण-बद्ध तथा समन्वित कार्यान्वियन कार्यक्रम तैयार करना ;

(3) कार्यों का उचित मानकों के आधार पर कार्यान्वियन तथा रखरखाव सुनिश्चित करना;

(4) बोर्ड के विचार के लिए, जहां भी आवश्यक हो, निर्माण कार्यों का वार्षिक कार्यक्रम तथा लागत आवंटन तैयार करना ;

(5) बाढ़ पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालियों का प्रचालन करना;

(6) बाढ़-नियंत्रण उपायों की निष्पत्ति का मूल्यांकन करना; और

(7) सड़क तथा रेल पुलों के नीचे वर्तमान रास्तों (वेंट-वेज़) का मूल्यांकन करना और निकास अवरोध में उचित कमी लाने के लिए बनाए जाने वाले अतिरिक्त जल मार्गों को निर्धारित करना।

4. यह आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गये व्यापक नीति आदेशों के अनुसार कार्य करेगा और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तथा राज्य बाढ़ नियंत्रण संगठनों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके कार्य करेगा।

5. आयोग का मुख्यालय पटना में होगा।

6. सभी तकनीकी मामलों में इस आयोग की सहायता एक तकनीकी सलाहकार समिति करेगी जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी।

7. बोर्ड द्वारा स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण कार्य साधारणतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। किन्तु यदि जरूरत पड़े तो आयोग विशिष्ट कार्यों के कार्यान्वियन का प्रबन्ध कर सकता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों, कृषि, वित्त, योजना, रेल और

परिवहन मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव/भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे आम जानकारी के लिए राज्यो के राजपत्रों में प्रकाशित करा दें ।

बी० पी० पटेल, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1972

संकल्प

सं० एफ० सी० 11(58)/70—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प संख्या एफ० सी० 11(58)/70 दिनांक 11 जनवरी, 1971, जिसका संशोधन संकल्प संख्या एफ० सी० 11(58)/70 दिनांक 24 अप्रैल, 1971 तथा 26 अगस्त, 1971 द्वारा किया गया था, के अन्तर्गत स्थापित उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :—

1.	केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री	अध्यक्ष
2.	वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
3.	सिंचाई मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
4.	वन मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
5.	कृषि मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
6.	अध्यक्ष, उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग	सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति पश्चिम बंगाल सरकार/भारत सरकार के मन्त्रालयों/प्रधान मंत्री के सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव/भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक/योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और राज्य सरकार से यह प्रार्थना की जाए कि वे इसे आम जानकारी के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करा दें।

बी० एस० बंसल, संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 15 अप्रैल 1973

संकल्प

विषय : पुनर्वास बोर्ड का समापन

सं० 4(1)/71-पु० बो०—भारत सरकार ने श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय के पुनर्वास विभाग के संकल्प संख्या 3(5)/67-पु० V, दिनांक 30 जनवरी 1968 के अधीन भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान अब बंगला देश से आए विस्थापित व्यक्तियों तथा अन्य देशों से लौटने वाले प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक तथा उसके संबंधित कार्यक्रमों की योजना और रूपरेखा बनाने के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित पुनर्वास बोर्ड के तत्काल समापन का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां निम्नलिखित को भेज दी जाएं:—

1. बोर्ड के सभी सदस्य ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
3. योजना आयोग, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रि मण्डल सचिवालय और राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव ।
4. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में मुख्य सचिव ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाये।

जी० एस० काहलों, सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 12th April 1972

F. No. 12(6)/71-*MVI.*—In partial modification of this Ministry's notification No. 13(19)/63-MIV, dated 21st May, 1965, as amended from time to time, it has been decided that Shri Damodar Pandey, Member, Lok Sabha and Shri Kalyan Roy, Member, Rajya Sabha shall also be the members of the Mineral Advisory Board.

HARSHA GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 30th March 1972

RESOLUTION

No. 5-19/69-*MCH.*—In partial modification of the Ministry of Health and Family Planning (Department of Family Planning) Resolution No. 5-19/69-MCH, dated the 26th October, 1970, the Government of India have decided that Shrimati Jyotsna Chanda and Shrimati Bhargavi Thankappan, Members of the Parliament (Lok Sabha) shall be members of the Advisory Committee of the Countess of Dufferin's Fund *vice* Shrimati Illa Palchoudhry and Shrimati Suseela Gopalan who ceased to be Members of the Parliament (Lok Sabha).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories.

ORDERED further that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

D. N. CHAUDHRI, Director

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 12th April 1972

RESOLUTION

No. 30-1/71-*L.D.III.*—In continuation of this Ministry's Resolution No. 30-1/71-L.D.III, dated the 27th December, 1971 and in partial modification of this Ministry's Resolution No. 20-20/69-L.D.III, dated 26/29-11-69, the Government of India have decided that the date upto which the Director of Administration, Directorate of Extension may operate on the current account of the Central Council of Gosamvardhana be further extended from 1-4-72 to 30-9-72, or till the pending claims are settled, whichever is earlier.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Administration of Union Territory, of the Ministries of the Government of India, the Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. GULATI, Dy. Secy.

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi, the 20th April 1972

No. 27(3)/71-CDN(I)/ICAR.—Shri V. N. Amble, Officer-in-charge (Training), Central Statistical Organisation, Department of Statistics, New Delhi, who was nominated a member of the Standing Committee for Animal Sciences Research of Indian Council of Agricultural Research under this Ministry's Notification number F.27(1)/69-CDN(I)/ICAR, dated the 16th July, 1969 has ceased to be member of that Standing Committee under Rule 77 read with Rule 11(a) of the Rules of the Society with effect from the 13th April, 1972.

M. L. RAY, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 10th April, 1972.

No.-F.8-25/69-L2-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President herby makes the followinsgto amend the Central Institute of Indian Languages (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1970, namely—

1. (1) These rules may be called the Central Institute of Indian Languages (Class and Class IV (posts) Recruitment Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Institute of Indian Languages (Class IIIand Class IV posts) Recruitment Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules)., after rule 5, the following rules shall be inserted namely:——

6. "Power to relax: –Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, The Scheduled Tribes and other special categories of persions in accordance with the orders issued, by the Central Government from time to time in this regard".

3. In the schedule to the said rules, under the heading "Recruitment Rules for Class III posts in the Central Institute of Indian Languages, Mysore", after serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :——

RECRUITMENT RULES IN RESPECT OF CLASS III POSTS IN THE CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES, MYSORE.

S. No.	Name of post.	No. of posts.	Classification	Scale of Pay.	Whether selection post or non-selection post.	Upper age limit for direct recruits.	Educational & Other Qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification presscribed for the direct recruitments will apply in the case of promotion.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Office Superintendent.	One	General Central Service, Class III, Non-Gazetted	Rs. 350 - 20-450 25 - 475	Selection	Not applicable	Not applicable.	Not applicable
7.	Gastetner operator.	One	General Central Service, Class III. Non-Gazetted.	Rs. 110- 3- 125..	Selection.	25 years	1. Passed Matriculation. 2 Two years experience in duplicating work.	Age:—— No. Qualification.: Yes.

S. No.	Name of post.	period of probation if any,.	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer & per centage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruit ment by promotion transfer, grades from which promotion to be made.	If Departmental Promotion Committee exists What is its Composition	Circumstanes in which Union Public Service Commission is to be consulated in making recruitment.
1	2	10	11	12	13	14
6.	Office Superintendent.	two years.	By promotion.	Promotion of Upper Division Clerks, with 8 years. service in the grade	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
7.	Gastetner Operator	Two years.	By direct recruitment ,failing which by promotion.	Promotion: - Peons & Library Attendents with 7 years' service in the grade.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

S. K. SANYAL. Under Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 12th April 1972

RESOLUTION

*No. DW.II*37(29)/70.—The Irrigation Commission set up under this Ministry's Resolution No. DW.II28(52)/67, dated 1st April, 1969 was to submit its report by 31st March, 1971. On a review of the progress of the Commission's work, the date for the submission of the report was extended to 31st March 1972 under this Ministry's Resolution No. DWJI-37(29)/70, dated the 2nd March, 1971. The Irrigation Commission has since submitted volumes I and IV of its report. The date for the submission of volumes II and III of the Commission's report is hereby further extended upto the 30th June, 1972.

ORDER

ORDERED that the Reolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India and all State Governments/Administration of the Union Territories.

A. S. SHARMA, Jt. Secy.

New Delhi, the 14th April 1972

RESOLUTIONS

*No. EL II.*1(8)/69.—The Central Electricity Consultative Council set up by this Ministry's Resolution No. EL.II.1(8)/69, dated 21st August 1970, is hereby reconstituted as under :—

Composition of the Council

Chairman

1. Union Minister of Irrigation & Power.

Members

2. Union Deputy Minister of Irrigation & Power.

Ministers from States/Union Territories

3. Minister for Irrigation and Power, Orrissa.
4. Minister for Electricity, Tamil Nadu.
5. Minister for Power Department, Andhra Pradesh.
6. Chief Minister, Himachal Pradesh.
7. Minister for Industries and Power, J&K.

Members of Parliament

8. Shri P. Venkatasubbaiah, M.P. (Lok Sabha).
9. Shri Kondajji Basappa, M.P. (Lok Sabha).
10. Shri Dharnidhar Dass, M P. (Lok Sabha).
11. Shri Anand Singh, M.P. (Lok Sabha).
12. Dr. H. P. Sharma, M.P. (Lok Sabha).
13. Shri Bhan Singh Bhaura, M.P. (Lok Sabha).
14. Shri Jitendra Prasad, M.P. (Lok Sabha).
15. Shri A. S. Kasture, M P. (Lok Sabha).
16. Shri M. R. Sharma, M.P. (Lok Sabha).
17. Shri T. S. Latchumanan, M.P. (Lok Sabha).
18. Shri D. D. Puri, M.P. (Rajya Sabha).
19. Shri Pandharinath Sitaramji Patil, M.P. (Rajya Sabha).
20. Shri Narayan Prasad Chaudhuri, M.P. (Rajya Sabha).
21. Shri Prithvi Nath, M.P. (Rajya Sabha).
22. Shri Brahmananda Panda, M.P. (Rajya Sabha).

State Electricity Board

23. Chairman, Assam State Electricity Board.
24. Chairman, Haryana State Electricity Board.
25. Chairman, Madhya Pradesh Electricity Board.
26. Chairman, Mysore State Electricity Board.
27. Chairman, U.P. State Electricity Board.

Representatives of Ministries of Government of India

28. Secretary, Ministry of Irrigaion & Power.
29. Vice-Chairman, Central Water & Power Commission.
30. A representative of Ministry of Railways (Railway Board).
31. A representative of the Ministry of Steel and Mines, (Department of Mines and Metals).
32. A representative of Department of Atomic Energy.
33. A representative of the Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture)
34. A representative of the Ministry of Industrial Development.
35. A representative of Ministry of Finance (Department of Expenditure).
36. A representative of the Planning Commission.

Representatives of the Undertakings etc.

37. Chairman, Heavy Electricals Ltd., Bhopal
38. Chairman, Bharat Heavy Electricals Ltd.
39. Chairman, Rural Electrification Corporation.
40. President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry or his representative.
41. A representative of the Federation of Electricity Undertakings of India.
42. Chairman, Indian Electrical Manufacturers Association or his representative.
43 The Hon General Secretary of the Executive Committee of the National Tonnage Club of Farmers
44 Joint Secretary (Power), Ministry of Irrigation and Power will be the Member-Secretary of the Council.

Chairman may invite any other person to attend the meetings of the Council as he may consider necessary.

2. In order to ensure fairly rapid rotation, the tenure of the Council may be for two years at a time.

3. (a) The Council will consider and make recommendations on the following subjects :

(i) Matters relating to the generation, supply and distribution of electricity and the services and facilities provided by the electricity undertakings as may be referred to it for consideration, by the Union Minister for Irrigation and Power.

(ii) Other matters relating to the generation, supply and distribution of electricity and the services and facilities provided by the electricity undertakings which individual Members of the Council may with the approval of the Chairman, desire to be included in Agenda.

(iii) Any other matter of general public interest for public convenience relating to supply and distribution of power.

(b) The Council will be purely consultative in character.

(c) Questions relating to staff, discipline and appointments shall not be brought before the council.

4. (a) The Council will meet at least once a year.

(b) The Chairman may constitute Committees or subcommittees of the Council to advise the Government on specific problems relating to the services and facilities provided by the electricity undertakings.

(c) Any member wanting to bring up a subject for discussion should give a clear notice of one month to the Secretary and state briefly the subjects to be discussed. The Secretary will circulate the agenda giving the members at least 10 days' notice together, as far as possible, with memorandum on each item. Urgent business may, however, be brought forward for consideration without notice but with the approval of the Chairman. The Chairman may rule out a subject at his discretion.

(d) The proceedings of the meetings of the Council will be confidential, but a short summary of the proceedings will be ordinarily prepared and given to the press.

5. The Members of the Council will draw travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Council at the rates fixed by the Government from time to time.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the members concerned, the State Governments, the State Electricity Boards, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secty., Secretary to the President, the Plan-

ning Commission, Department of Atomic Energy and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India

The 18th April, 1972

RESOLUTION

No. F.C 47(2)/72.—In the Ganga Basin covering the States of Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh, floods in some part or the other is an annual feature. On account of the inadequacy of the protection measures carried out so far, large scale damage due to floods often occurs. It has, therefore, been considered that concerted efforts should be made for tackling the floods in the Ganga and its tributaries in a big way. Being an inter-State river, it is necessary to prepare an integrated plan to tackle the flood, erosion and drainage problem in the basin and implement it in a coordinated manner. In order to ensure the close cooperation of the Government of India in this task and to facilitate prompt and effective action in the formulation and implementation of a comprehensive and coordinated plan of flood control in the basin, the Government of India have decided to set up the Ganga Flood Control Board.

2. The Board will consist of the following :—

Chairman

(i) Union Minister for Irrigation & Power.

Members

(ii) Union Minister of State for Finance.

(iii) Chief Minister of Bihar or his representative.

(iv) Chief Minister of Uttar Pradesh or his representative.

(v) Chief Minister of West Bengal or his representative.

(vi) Chief Minister of Haryana or his representative.

(vii) Chief Minister of Rajasthan or his representative.

(viii) Chief Minister of Madhya Pradesh or his representative.

Member-Secretary

(ix) Chairman of the Ganga Flood Control Commission.

3. The Board will lay down the broad policies and decide priorities in the implementation of the various schemes. The Board will also accord approval to the schemes and recommend annual outlays for their implementation.

4. The Board will frame its own rules of business. The headquarters of the Board will be at Patna.

5. For preparing a comprehensive plan of flood control for the Ganga basin, to draw out a phased and coordinated programme of implementation of the works included in the basinwise plans by the States concerned and to ensure the implementation of works to proper standards and their maintenance, the Government of India will also set up the Ganga Flood Control Commission with Headquarters at Patna. The Chairman of the Commission will be the Member-Secretary of the Ganga Flood Control Board.

6. The Government of India will also set up a technical Committee to assist the Flood Control Commission in all technical matters.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Ministries of Finance, Agriculture, Railways, Transport, Planning and Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Governments of Bihar, Haryana, Madhya Pradesh Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal be requested to publish it in the State Gazette for general information

RESOLUTION

No. FC 47(3)/72.—In continuation of Ministry of Irrigation and Power Resolution No. FC.47(2)/72, dated the 18th April, 1972 constituting the Ganga Flood Control Board, the Government of India hereby constitute the Ganga Flood Control Commission.

2. The Commission will consist of the following whole-time officers :

(i) Chairman.

(ii) Member-Planning and Design.

(iii) Member-Coordination.

In addition the Chief Engineers in charge of flood control in the States of Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal will be part-time Members of the Commission.

The Chairman of the Commission will be the Member-Secretary of the Ganga Flood Control Board.

3. The Commission will be entrusted with the following functions :—

(i) to prepare a comprehensive plan of flood control for the Ganga basin. The field investigations and collection of data for the purpose will be carried out by the State Governments as directed by the Ganga Flood Control Board;

(ii) to draw out a phased and coordinated programme of implementation of works included in the basinwise plans;

(iii) to ensure the implementation of works to proper standards and their maintenance;

(iv) to prepare the annual programme of works and allocation of cost wherever required for the consideration of the Board;

(v) to operate the flood forecasting and warning systems;

(vi) to assess the performance of flood control measures; and

(vii) to make an assessment of the existing vent-ways under the road and rail bridges and to determine additional waterways to be provided for reducing the drainage congestion to reasonable limits.

4. The Commission will work within the broad framework of policy directions issued by the Ganga flood Control Board and will work in close liaison with the Central Water and Power Commission and the State Flood Control Organisations.

5 The headquarters of the Commission will be at Patna.

6 The Commission will be assisted in all technical matters by a Technical Advisory Committee to be set up by the Government of India.

7 The Flood Control Works approved by the Board will normally be implemented by the State Governments concerned. If, however, it becomes necessary the Commission may arrange the execution of specific works.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh, Rajasthan and West Bengal, Ministries of Agriculture, Finance, Planning, Railways and Transport, Prime Minister's Secretariat, Private and Military Secretary to the President and Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Governments of Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh, Rajasthan and West Bengal be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

B. P. PATEL, Secy

New Delhi, the 15th April 1972

RESOLUTION

*No. F.C.*11(58)/70.—The North Bengal Flood Control Board set up under the Government of India, Ministry of Irrigation & Power, Resolution No. F.C.11(58)/70, dated

the 11th January, 1971 and as amended under Resolutions No. F.C. 11(58)/70, dated the 24th April, 1971, and 26th August, 1971, is further reconstituted as follows :—

Chairman

1. Union Minister of Irrigation and Power.

Members

2. Minister of Finance, West Bengal.
3. Minister of Irrigation, West Bengal.
4. Minister of Forests, West Bengal.
5. Minister of Agriculture, West Bengal.
6. Chairman, North Bengal Flood Control Commission.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Government of West Bengal/concerned Ministries of the Government of India/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government be requested to publish it in the State Gazette for general informaion.

B. S. BANSAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

RESOLUTION

New Delhi-11, *the* 15*th April* 1972

SUBJECT : *Abolition of the Board of Rehabilitation.*

No. 4(1)/71-*B.O.R.*—The Government of India have decided to abolish with immediate effect the Board of Rehabilitation set up under the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 3(5)/67-RH.V, dated the 30th January, 1968, to advise the Government on the planning and formulation of industrial and related programmes for the resettlement of displaced persons from the erstwhile East Pakistan, now Bangladesh, and repatriates from other countries.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :

1. The Members of the Board.
2. The Ministries/Departments of the Government of India.
3. The Planning Commission, The Prime Minister's Secretariat, The Cabinet Secretariat and The Private and Military Secretary to the President.
4. The Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories.

ORDERED also that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general informaion.

G. S. KAHLON, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972